न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी–श्री रामकरन मीना तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 82/2018 ता0 रजु. 15.02.2019 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 26.02.19

सरकार

बनाम

द्वारिका पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण नि0 दहगांव तह0 बयाना जिला–भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का दहगांवा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम दहगांवा के खसरा न0 295 रकवा 0.20 हैक्ट में से रकवा 0.20 हैक्ट किस्म भूमि बारानी 1 सिवायचक पर सम्वत 2075 में श्री द्वारिका पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण नि0 दहगांव तह0 बयाना ने गेहूं बुबाई कर अतिकमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी/अप्रार्थियों को न्यायालय हाजा से बार बार आवाज लगाई, बाबजूद नोटिस प्राप्ति अप्रार्थी/अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं आया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अतिकमी द्वारा राजकीय सिवायचक/चारागाह भूमि पर अतिकमण किया है। अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिकमी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिकमित खसरा नम्बर 295 रकवा 0.20 हैक्ट वाके ग्राम दहगांवा से बेदखल किया जाता है। लगान 3.20 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 160 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/बेदखली बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की मांग सामग्री
... 39
27-2-19 ... 2018-19
पैनल्टी रु. 160/-
27-2-19
तहसील बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)